BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 06 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/S AZAAN INTERNATIONAL ...APPELLANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD ...RESPONDENT

REJOINDER ON BEHALF OF THE APPELLANT TO THE REPLY OF UPPCB DATED 08.10.2024

(FOR INDEX: - Kindly See Inside)

New Delhi
Dated:28.01.2025

S.A ZAIDI & MANSI CHAHAL
ADVOCATE
CHAMBER NO- 7, TRISHUL TOWER
KAUSHAMBHI, GHAZIABAD U.P
(M):8377863559
EMAIL: mansichahal104@gmail.com

2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 06 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/S AZAAN INTERNATIONAL ...APPELLANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD ...RESPONDENT

INDEX

S. No.	**Particulars**	
1.	Rejoinder on behalf of the Appellant with Affidavit	1-14
2.	True Copy of Order dated 10.08.2024 issued by UPPCB vide its Letter No. H17002/C-2/Water-337/24 is annexed as ANNEXURE A/1.	15-19
3.	The True Copy of the Electricity disconnection slip issued to the appellant by the Kanpur Electricity Board having serial No. 138111 dated 30.05.2017 is annexed herewith and marked as ANNEXURE A/2.	20
4.	The True Copy of the electricity bill of the appellant's meter No. KES24241 showing disconnected status is annexed herewith and marked as ANNEXURE A/3.	21

New Delhi
Dated.22.01.2025

S.A ZAIDI & MANSI CHAHAL
ADVOCATE
CHAMBER NO- 7, TRISHUL TOWER
KAUSHAMBHI, GHAZIABAD U.P
(M):8377863559
EMAIL: mansichahal104@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NO. 06 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/S AZAAN INTERNATIONAL ...APPELLANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD ...RESPONDENT

REJOINDER ON BEHALF OF THE APPELLANT TO THE REPLY OF UPPCB DATED 08.10.2024

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the above captioned appeal is pending for adjudication before this Honourable Tribunal and is coming up for hearing on 31.01.2025.

2. That the reply filed by the UPPCB in response to the submissions made by the appellant in the appeal, is hereby contested as it is a totally vague reply wherein the true facts have been concealed thereof from the Honourable Tribunal.

3. PRELIMINARY SUBMISSIONS:

3.1. That initially, the father of the appellant i.e. Mr. Late Junaid Ahmad started the tannery by the name of M/s Junaid Tanning Industries at 93/78-79/A, Idgah Road, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh. The appellant's father had five sons namely Khurshid Anwar, Siraj Anwar, Masood Anwar, Khalid Anwar & Arif Anwar (appellant in the present appeal).

Till Mr. Junaid Ahmad (the appellant's father) was alive, all the brothers collectively used to look after & run the tannery, but after the death of Mr. Junaid Ahmad in year 2006, the appellant got separated & started his individual tannery by the name of M/s Azaan international in the same compound i.e. at 93/78-79/D, Idgah Road, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh, near the M/s Junaid Tanning Industries. Both the units/ tanneries are situated in a common compound having area of about 4000 square meter, out of

which majority of the area is being occupied by M/s Junaid tanning industries as it is a big unit as compared to M/s Azaan International. Also, the electricity meters are separate of both the units and address of houses are also separates as M/s Azaan International having address as 93/79D, Idgah Road, 150ft Road, Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh.

3.2. That the appellant unit was engaged only in the dry work. The unit was not a water intensive unit. Regular inspections at regular intervals used to take place of the appellant's unit but the appellant unit was never found flouting any environmental norm in any manner whatsoever.

3.3. That furthermore, the appellant's unit didn't operate after 30.05.2017 as the electricity disconnection of the unit by the Kanpur Electricity Board was done on 30.05.2017. No inspection

after this date ever took place of the appellant's unit as it was not functioning, whereas several inspections of M/s Junaid tanning industries used to take place wherein it was found violating the norms for which the environmental compensation of Rs.1,13,37,500/- was also imposed upon the unit. However, the UPPCB waived off the entire EC of M/s Junaid tanning industries for the reasons best known to them only.

True Copy of Order dated 10.08.2024 issued by UPPCB vide its Letter No. H17002/C-2/Water-337/24 is annexed as ANNEXURE A/1.

3.4. That instead of recovering the EC from M/s Junaid tanning industries, which they waived off, without any sufficient proof, imposed the EC of Rs.1,23,75,000/- on appellant's unit without acknowledging the fact that the appellant's unit was not operating after 30.05.2017 and the same

is evident from the electricity disconnection slip to the appellant by Kanpur Electricity Board.

4. <u>PARA WISE REPLY:</u>

4.1. That the Contents of Para 1 is denied and humbly submitted that the appellant has not, in any manner, mislead the Honourable Tribunal, in fact the UPPCB has tried to mislead this Honourable Tribunal by concealing the actual & true facts.

4.2. That the Contents of Para 2 are denied and submitted that the UPPCB has erroneously submitted that the applicant's unit was operational in violation of the closure order issued to it dated 19.07.2017. The appellant's unit was certainly not in operation because the electricity disconnection of the appellant's unit was done by the Kanpur Electricity Board on 30.05.2017 and the same can also be verified from the Kanpur Electricity Board.

The True Copy of the Electricity disconnection slip issued to the appellant by the Kanpur Electricity Board having serial No. 138111 dated 30.05.2017 is annexed herewith and marked as ANNEXURE A/2.

4.3. That the Contents of Para 3 is admitted upto the extent that the EC of Rs. 25000/- was imposed upon the appellant's unit, but this notice was never given to the appellant. The same can be evident from the fact that there is no receiving of the appellant or any representative of the appellant on the notice.

4.4. That the Contents of Para 4 is denied and reiterated that the electricity disconnection of the appellant's unit was done by the Kanpur Electricity Board on 30.05.2017 and the same can also be verified from the Kanpur Electricity Board. Furthermore, the appellant can provide

the copy of his electricity bill having Meter No. KES24241 where the status of the electricity is shown as "under disconnection". Furthermore, the appellant agrees and request from this Honourable Tribunal that the authenticity of the electricity bill produced by the respondent shall be done with the Kanpur Electricity Board **The True Copy of the electricity bill of the appellant's meter No. KES24241 showing disconnected status is annexed herewith and marked as ANNEXURE A/3.**

4.5. That the Contents of Para 5 is admitted upto the fact that the respondent issued a letter dated 27.06.2018 to the appellant, but the letter issued was of no relevance as the unit was lying already closed. These acts by the respondents were done just to harass the appellant, as in fact on the inspection of the adjoining unit namely M/s Junaid tanning industries, it was found violating the

environmental norms and the letter of closure along with disconnection of water & electricity was supposed to be send to M/s Junaid tanning industries, but due to the connivance of the respondent officials with M/s Junaid tanning industries, the harassment was done with the appellant. Moreover, the appellant unit was only engaged in dry work and no water was required for the process, but however the notices issued by the respondent directed the disconnection of water also which clearly indicates that the units were inter-changed for serving of the notice which shows the malafide intentions of the respondent officials.

4.6. That the Contents of Para 6 is denied and humbly submitted that the appellant's unit was not in operation and thus no inspection ever took place.

4.7. That the Contents of Para 7 & 8 are a matter of record and needs no reply.

4.8. That the Contents of Para 9 is denied and humbly submitted that the appellant's unit was not in operation and thus no inspection ever took place.

4.9. That the Contents of Para 10 & 11 are a matter of record and needs no reply.

5. That it is humbly submitted that the environment compensation of Rs.1,23,75000/- imposed on the appellant's unit is not only unjustified but also highly disproportionate to the actual & true facts. The appellant's unit has been closed since 30.05.2017 and has not been in operation during the time of the violations that the UPPCB attributes to the appellant's unit.

6. That the appellant respectfully requests the Honourable Tribunal to take the above facts into

consideration and issue an order directing the UPPCB to reconsider its findings and withdraw the imposed fine of Rs.1,23,75000/-.

7. That the present rejoinder is being made bonafide in the interest of Justice.

Appellant

Through

Dated: 28.01.2025
New Delhi

S.A. ZAIDI & MANSI CHAHAL
Advocates
Chamber No-7, Trishul Tower
Kaushambi, Ghaziabad, U.P

13

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL No. 06 OF 2024

IN THE MATTER OF:

M/S AZAAN INTERNATIONAL ....APPELLANT

VERSUS

HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.....RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, Arif Anwar, Proprietor in M/s Azaan International situated at 93/79D, Idgah Road, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh, presently at New Delhi do here by solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Appellant in the above noted case therefore I am fully conversant with the fact of the case I am competent to sign and swear this Affidavit.

2. That the accompanying rejoinder has been drafted by my counsel and the same has been read over and explain to me and I say and declare that the same are true and correct.

10

NOTARY PUBLIC
NITENDRA KUMAR
Advocate
NOTARY PUBLIC
R. No-19708
NCT DELHI
GOVT. OF INDIA

3. That the Contents of accompanying rejoinder be read as part and parcel of this affidavit as the same are not repeated herewith for the sake of brevity.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Delhi on this day of , 2025 that the contents of my above Affidavit are true and correct to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

I identified the deponent who has signed in my presence

17 JAN 2025

NOTARY PUBLIC
NITENDRA KUMAR
Advocate
NOTARY PUBLIC
R. No-19708
NCT DELHI
GOVT. OF INDIA

CERTIFIED THAT DEPONENT
Sh./Ms.............................Age...............
S/o, W/o, D/o ....
R/o...
Identified by Sh......................................
has solemnly affirmed before me at Delhi
On............ that the
contents of the affidavit have been read
& explained to him/her are true & correct to
his/her knowledge.

NITENDRA KUMAR, NOTARY PUBLIC
Govt. of India DELHI

DEPONENT

Annexure A/1

15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H17002 / टी-2/जल-337/24

दिनांक / Date 10/08/24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज,
93/78, 79- ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
जनपद-कानपुर नगर। Mo-9005545641

विषयः मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज, 93/78, 79- ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर नगर पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित अपील संख्या 01/2023 (आई0ए0 नंबर 17/2023) मैसर्स जुनैद ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 के अंश निम्नवत है :-

2. Case of the Appellant is that the unit was having capacity of 60 hides per day and was closed in the year 2016 under orders of the State PCB. On 18.04.2019, the appellant received notice from the State PCB to pay compensation of Rs. 10,37,500/- followed by notice dated 03.06.2019 by which amount was raised to Rs. 1,13,37500/-. Thereafter, impugned Recovery Certificate has been issued. According to the appellant, no opportunity of hearing has been given and though the unit is lying closed and has financial crisis, the amount of compensation has been fixed without adequate basis which is bad inter alia on account of proportionality.

3. Having regard to the above, without expressing any opinion on merit at this stage, we are of the opinion that appellant needs to be given due opportunity by the State PCB before effecting recovery in pursuance of the impugned notices. The appellant through its representative may appear before the Member Secretary, State PCB and give its objections, if any, to the impugned action on 20.02.2023 at 11 am. The Member Secretary, PCB may pass a fresh order with reasons after considering the view point of the appellant. Till fresh order is passed, no coercive action be taken against the appellant. Fresh order be passed within two months.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 20.02.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु इकाई मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्री, 93/79ए ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 09.02.2023 प्रेषित किया गया। दिनांक 20.02.2023 को इकाई प्रतिनिधि बोर्ड में उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा साक्ष्य हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी। इकाई द्वारा दिनांक 02.03.2023 को अपनी आपत्ति मय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिस पर बोर्ड के पत्र दिनांक 20.03.2023 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर से प्रस्तरवार आख्या आहूत की गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्रांक 301/टैनरी-263/23 दिनांक 07.06.2023 के माध्यम से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् हैः-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या 01/2023 (आई0ए0 नंबर 17/2023) मैसर्स जुनैद ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश

17

- इकाई स्वामी श्री खुर्शीद अनवर द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड संख्या– 93/78, 79–ए–डी, जाजमऊ, कानपुर नगर का साइट प्लान सबमिट किया गया। प्रस्तुत साइट प्लान के अनुसार भूखण्ड के अर्द्धभाग में श्री खुर्शीद अनवर, श्री आरिफ अनवर, श्री शाहिद अनवर, श्री मकसूद अवनर व श्री खालिद अनवर के आवास स्थित हैं। उक्त भूखण्ड के मध्य भाग में श्री खुर्शीद अनवर द्वारा स्थापित मैसर्स जुनैद टैनरी स्थित है। श्री खुर्शीद अनवर द्वारा निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि *मैसर्स जुनैद टैनरी इकाई के बायीं ओर एवं पृष्ठ भाग में 23 फिट पैसेज के उपरान्त श्री आरिफ अनवर द्वारा टैनरी स्थापित कर संचालित किया जाता है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि टैनरी को मैसर्स अजान इण्टरनेशनल के नाम से संचालित किया जा रहा है,* जिसके प्रोपराइटर श्री आरिफ अनवर हैं।
- जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्या 968/एस0टी0–2018/सा–1, दिनांक 14.06.2018 द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की टीम संख्या–03 द्वारा मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को पत्र संख्या 1128/एस0टी0–2017 दिनांक 29.07.2017 द्वारा उद्योग को अवैध रूप से मानते हुए तत्काल बन्द/सील कर दिया गया था। तत्समय निरीक्षण दिनांक 07.06.2018 में श्री आरिफ अनवर द्वारा उद्योग मैसर्स अजान इण्टरनेशनल का संचालन किया जाता पाया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कं0 लि0, सिविल लाइन, कानपुर नगर को उद्योग पर बन्दी सुनिश्चित कराने के आशय से अवैध रूप से संचालित मैसर्स अजान इण्टरनेशनल को प्राप्त होने वाली विद्युत आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को भी पृष्ठांकित की गयी थी।
- // केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक आंचलिक कार्यालय उत्तर लखनऊ के पत्र संख्या ZOL/Tech/Direction/303/1129 दिनांक 5 नवंबर 2018 द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज, 93/79, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के परिसर में अवैध रूप से संचालित मैसर्स अजान इंटरनेशनल के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया, के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या दिनांक 13.12.2018 को क्षेत्रीय अधिकारी कानपुर नगर को शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए उद्योग का निरीक्षण कर आख्या हेतु निर्देशित किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन एवं बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.01.2019 की रात्रि 10:00 बजे मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज के परिसर के अन्दर टैनरी उद्योग विद्युत से संचालित पाया गया, तत्समय के निरीक्षण आख्या में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मैसर्स जुनैद टैनिंग के परिसर में मैसर्स अजान इंटरनेशनल द्वारा संचालन का कार्य किया जा रहा था अथवा नहीं। जबकि संज्ञानित हो कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा मैसर्स जुनैद टैनिंग इंडस्ट्रीज के परिसर में स्थित मैसर्स अजान इंटरनेशनल, 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का निरीक्षण दिनांक 07.06.2018 को किया गया था, जिसमें मैसर्स अजान इंटरनेशनल संचालित पाया गया था। बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गयी 402 टैनरी इकाईयों की सूची में मैसर्स अजान इंटरनेशनल आच्छादित नहीं है तथा मैसर्स अजान इंटरनेशनल को बोर्ड द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत नहीं किया गया है। अग्रेतर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र संख्या 1609/टैनरी–519/18, दिनांक 20.06.2018 द्वारा मैसर्स अजान इंटरनेशनल, 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने की दशा में रुपये 25,000/– का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। //
- निरीक्षण दिनांक 05.04.2023 के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि श्री खुर्शीद अनवर द्वारा मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज को राज्य बोर्ड से निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 09.09.2016 के अनुपालन में बन्दी सुनिश्चत किये जाने के साक्ष्य के सम्बन्ध में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कानपुर द्वारा जारी किये गये मेन्टीनेन्स बिल प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण क्रमशः निम्नवत् हैं:–

18

G.M. GANGA POLLUTION CONTROL UNIT
U.P. JAL NIGAM, BENAJHABAR
KANPUR-208002

S.No.	Name of Tannery Unit	Asses Order no.	Date of Issue	Period of Assessed Contribution	Capacity (Hide/day)	Total no. of Hides/month	Rate/Hide (Rs.)	Amount (Rs.)
1		186/O&M/086	15/06/2019	01/05/2019 to 31/05/2019	0	0	20.35	0
2		187/O&M/086	6/7/2019	01/06/2019 to 30/06/2019	0	0	20.35	0
3		188/O&M/086	7/8/2019	01/07/2019 to 31/07/2019	0	0	20.35	0
4		212/O&M/086	7/8/2021	01/07/2021 to 31/07/2021	0	0	18.7	0
5		221/O&M/086	13/05/2022	01/04/2022 to 30/04/2022	0	0	21.63	0
6		222/O&M/086	6/6/2022	01/05/2022 to 31/05/2022	0	0	21.63	0
7		227/O&M/086	4/11/2022	01/10/2022 to 31/10/2022	0	0	21.63	0
8		232/O&M/086	11/4/2023	01/03/2023 to 31/03/2023	0	0	21.63	0

- मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शनों की संख्या एवं किये गये विद्युत विच्छेदन को सत्यापित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 42/टैनरी–263/23 दिनांक 13.04.2023 द्वारा केस्को, जाजमऊ को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (वितरण एवं वाणिज्य), नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, केस्को, जाजमऊ, कानपुर नगर के पत्रांक संख्या 295/ न0वि0वि0खण्ड/जे0एम0/2023 दिनांक 04.05.2023 द्वारा कुल दो संयोजनों का विवरण प्रेषित किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

  1. खाता संख्या 36139237, संयोजन धारक–राम लखन, विद्युत भार–01 कि0वा0, वाणिज्य संयोजन।
  2. खाता संख्या 3600004572, संयोजन धारक–खालिद अनवर, विद्युत भार–04 कि0वा0, घरेलू संयोजन।

  मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्टस्ट्रीज, (93/78, 79–ए) ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर नगर के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता (वितरण एवं वाणिज्य), नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, केस्को, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विद्युत संयोजन के विवरण से स्पष्ट है कि *वर्तमान में मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्टस्ट्रीज के संचालन हेतु औद्योगिक प्रयोजन हेतु विद्युत संयोजन नहीं किया गया है।* अस्तु मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज द्वारा हाउस टैक्स के बिल के सम्बन्ध में कानपुर नगर द्वारा जारी जमा रशीद प्रस्तुत की गयी है (संलग्नक–14)।

उपरोक्त आख्या दिनांक 07.06.2023 से स्पष्ट है कि मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज के परिसर में ही मैसर्स अजान इण्टरनेशनल को स्थापित किया गया है तथा उसका संचालन श्री आरिफ अनवर द्वारा किया जा रहा था, के दृष्टिगत् मैसर्स अजान इण्टरनेशनल को दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 09.04.2019 तक की अवधि के लिये 12500/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 1,23,75,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 18.07.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके अनुक्रम में मैसर्स अजान इण्टरनेशनल द्वारा दिनांक 28.07.2023 को अपना प्रतिउत्तर बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त कराया गया, जिसके सम्बंध में बोर्ड के पत्र दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर से आख्या आहूत की गयी। जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.12.2023 के माध्यम से आख्या प्रेषित की गयी जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं :–

- मैसर्स अजान इंटरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के उप–कार्यालय, जाजमऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.12.2023 को किया गया।
- कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2006 के सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गयी 402 टेनरी इकइयों की सूची में मैसर्स अजान इण्टरनेशनल (मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर) 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर आच्छादित नही है। मैसर्स अजान इण्टरनेशनल को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र व संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रमाण पत्र कभी भी निर्गत नहीं किया गया है। यह सूच्यहै कि भूखण्ड संख्या 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में स्थापित जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज परिसर के अन्दर गुप्त रूप से अवैधानिक तरीके से स्थापित है। दिनांक 02.12.2023 के निरीक्षण के समय मैसर्स अजान इण्टरनेशनल संचालित पायी गयी तथा कच्चे माल के रूप में गेट के समीप रॉ–हाइड भण्डारित पायी गयी एवं 05 नग ड्रमों मे प्रोसेस हेतु चमड़ा लोडेड पाया गया।

19

- उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 25.07.2023 का परिशीलन किया गया, उक्त प्रत्यावेदन में उद्योग स्वामी द्वारा जो मन्तव्य व्यक्त कर यह अंकित किया गया है कि मैसर्स अजान इण्टरनेशनल फर्म वर्ष 2018 से बन्द चल रही है और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है: जोकि दिनांक 02.12.2023 को निरीक्षण के समय पूर्णतया असत्य पाया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज के परिसर (93/78, 79ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ) में ही स्थापित मैसर्स अजान इण्टरनेशनल जिसका संचालन श्री आरिफ अनवर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुपालन किये बिना किया जाता पाये जाने के कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 05.01.2024 द्वारा उक्त इकाई मैसर्स अजान इण्टरनेशनल के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.07.2023 के अनुक्रम में रूपये 1,23,75,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज, 93/78, 79–ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा बोर्ड के बंदी आदेश का उल्लंघन करते हुए इकाई का संचालन किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–34842/सी–2/जल–337/ क्षतिपूर्ति/19 दिनांक 16.04.2019 द्वारा 83 दिवस हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10,37,500/– एवं पत्रांक एच–36605/सी–2/जल–337/कानपुर/19 दिनांक 03.06.2019 द्वारा रूपये 12500/– प्रतिदिन की दर से 907 दिवसों हेतु रूपये 12,500/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 1,13,37,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी अर्थात कुल 990 दिवस हेतु कुल रूपये 1,23,75,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी। जांचोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज के परिसर (93/78, 79ए, ईदगाह रोड, 150 फिट रोड, जाजमऊ) में ही स्थापित एक अन्य इकाई मैसर्स अजान इण्टरनेशनल का संचालन श्री आरिफ अनवर द्वारा किया जा रहा था। जिसके कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 05.01.2024 द्वारा मैसर्स अजान इण्टरनेशनल के विरूद्ध दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 09.04.2019 तक उसी अवधि के लिये जिस पर मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, के लिये 12500/– प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 1,23,75,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। एक ही डिफाल्ट के लिये दो–दो पृथक–पृथक कार्यवाही न किये जाने के दृष्टिगत् आंकलित क्षतिपूर्ति रूपये 1,23,75,000/– मैसर्स अजान इण्टरनेशनल पर अधिरोपित किये जाने के परिणामस्वरूप मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल रूपये 1,23,75,000/– को सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त आकृत एवं शून्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपील संख्या 1/2023 (आई०ए० नं–17/2023) मैसर्स जुनैद टैनिंग इण्डस्ट्रीज बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 के अनुपालन में इकाई का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Annexure A/2 20

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0
नगरीय विद्युत वितरण खण्ड – ....
उपखण्ड ....
कानपुर

केवल 3 माह के लिए मान्य
3 माह पश्चात् यह नोटिस
पी.डी. के लिए मान्य नहीं होगी

No.. 138111

विद्युत लाइन संयोजन विच्छेदन पत्र

नाम उपभोक्ता ......Anil Anwar 93/79 High Road...... बकाया रु0 ....

पता ......93/79 High Road......

कनेक्शन संख्या ग्रुप .... / बुक .... / संयोजन ....

मीटर नम्बर ......KES 29291...... मीटर रीडिंग ......24486 Kvah......

–उपभोक्ता का कनेक्शन आज दिनांक ......20/05/17...... को उपरोक्त मीटर रीडिंग पर केबिल उतारकर / पोल केबिल खोलकर / मीटर केबिल उखाड़कर काट दी गई है। कृपया 15 दिन के अन्दर कार्यालय में बकाया जमा करके विच्छेदन शुल्क रु. .... जमा करके ही कनेक्शन जुड़वायें अन्यथा कनेक्शन चलता पायेजाने पर / मीटर में उपरोक्त रीडिंग ज्यादा पाये जाने पर भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–135 में कार्यवाही की जायेगी तथा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है

हस्ताक्षर उपभोक्ता / प्रतिनिधि

20-5-17

हस्ताक्षर जू.ई. / लाइनमैन / परीक्षक प्रतिनिधि

T.C.

(पालीथिन हटायें –पर्यावरण बचायें) Annexure A/3 (21)

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

केस्को

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)
विद्युत बिल एवम् विच्छेदन नोटिस

उपभोक्ताओं हेतु नयी सुविधायें:–
1. घर बैठे ई.–पेमेण्ट करें। लॉग ऑन करे– www.kes
2. मीटर रीडर से बिल प्राप्त करते वक्त मौके पर "KESCO" के पक्ष में भुगतान कर रसीद प्राप्त करें। भूल भुगतान न करें।
3. अपनी विद्युत सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नं० **1912** पर शिकायत दर्ज करायें।

वितरण खण्ड का नाम

उपभोक्ता का नाम पता एवम् दूरभाष संख्या श्री/श्रीमती ARIF ANWARAZHAAN INTERNATIONAL 93/70 D IDGAH ROAD JAJMAU KANPUR

बुक संख्या	कनेक्शन संख्या	खाता संख्या	विद्युत प्रकार	भार (किवा/के.वी.ए./बी.एच.पी)	बिल संख्या	बिल अवधि से	बिल अवधि तक	
H4PC	074022	36111692	64	50.00HP	[illegible]	16/12/2018	10/0?/2018	
मीटर संख्या	पिछली रीडिंग (केडब्ल्यूएच/केवीएएच)	वर्तमान रीडिंग (केडब्ल्यूएच/केवीएएच)	मीटर गुणांक	उपयोग (केडब्ल्यूएच/केवीएएच)	पावर फेक्टर	वास्तविक माँग	स्टेटस	बिल दिनांक
KES24241	25982/27272	25982/27272	40.00	0/0	0.85	0.00	Under Disconnection	16/01
बिल आधार	निर्धारित यूनिट	समायोजित यूनिट	कुल देय यूनिट	कुल देय माँग	इन–आपरेटिव बकाया	जमा प्रतिभूति (रु.)	अतिरिक्त प्रतिभूति (रु.)	
UDC	0	0	0	37.30	0	10,000.00	0	

बिल का विवरण	धनराशि (रु.)	बिल का विवरण	धनराशि (रु.)
1. विद्युत मूल्य	0.00	कुल योग (क्रम संख्या 1 से 11)	10,305.?
2. फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जेज	0.00/9,231.75	12. अवशेष माह (माह से)	0
3. देय तिथि तक छूट (-)	0.00	(क) पुराना स्थिर अवशेष	175,924.51/0
4. वोल्टेज/लोड फेक्टर छूट (-)	0.00/0.00	(ख) पुराना अस्थिर अवशेष	0
5. न्यूनतम देय हेतु धनराशि	0.00 /381.27	13. पिछला विलम्ब अधिभार	11,474.49
6. अनादृत चेक	0	14. किस्त धनराशि	
7. अधिक भार / डिमान्ड अधिभार	0.00	(क) बिल संख्या	
8. केपिसिटर/पावर फेक्टर अधिभार/छूट	0.00/0.00	(ख) किस्त संख्या	
9. विद्युत कर	692.38	(ग) देय दिनांक	0
10. डेबिट		15. अन्य देय	0
(क) निर्धारण (+)		16. कुल देय धनराशि	0.00
(ख) मीटर मूल्य (+)	0	17. देय तिथि के बाद	197,704.00
(ग) विच्छेदन/पुनः संयोजन शुल्क (+)	0	(क) वर्तमान विलम्ब अधिभार	0
(घ) अन्य (+)	0	(ख) निरस्तीकरण छूट	2,199.00
11. क्रेडिट	0.00	18. देय तिथि के बाद कुल देय धनराशि	0
(क) अग्रिम क्रेडिट (-)			199,903.00
(ख) अन्य क्रेडिट (-)	0.00		
(ग) अन्य (-)	0		16/01/2019
कुल योग (क्रम संख्या 1 से 11) (+)	0.00		

देय तिथि तक देय धनराशि रु 10,305.00

शब्दों में रु 197,704.00

(Rupees One Lakhs Ninety Seven Thousand Seven Hundered Four Only)

देय तिथि के बाद देय धनराशि रु.

शब्दों में रु. 199,903.00

(Rupees One Lakhs Ninety Nine Thousand Nin... अधिशासी अभियन्ता

चेतावनी– कृपया ध्यान रखें कि प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि को या उससे पूर्व अवश्य कर दें अन्यथा विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी।

प्राप्ति रसीद संख्या
शब्दों में रुपये
तिथि
धनराशि रु.
भुगतान का आधार
बैंक का नाम
35036100... चेक/ड्राफ्ट संख्या
10-04-2019 14:30:37 PM दिनांक
100000.0
कैशियर का नाम (Rupees One Lakhs Thousand Only)
Cash 0
कैशियर के हस्ताक्षर
Shri KantYadav JMCOUNTER25

अगले माह की मीटर रीडिंग की एडवाइज के लिए प्रयोग हेतु :

बुक संख्या कनेक्शन संख्या खाता संख्या मीटर संख्या मीटर रीडिंग दिनांक

1. कृपया चेक/ड्राफ्ट के पीछे कनेक्शन, बुक संख्या, खाता संख्या, नाम व पता अवश्य दर्शायें
2. चेक क्रास/रेखांकित एवम् "खाते में देय" लिखा होना चाहिये। 36111692 KES24241

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

1. बाह्य स्टेशन के चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. चेक/ड्राफ्ट "केस्को" के पक्ष में निर्गत होना चाहिये।

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसका प्रयोग न करें।

एल ई डी के प्रयोग से घर–घर रोशनी, घर घर ब...

प्रस्तुत मीटर की रीडिंग जाँचोपरान्त गलत पाये जाने की स्थिति में उपभोक्ता पर दण्डात्मक राजस्व निर्धारित किया जा सकता है।

आपके घरों और कारोबार को उजाले से भरने की सेवा में तत्पर– आपका अपना केस्को। राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें।